अपील /खाद्य सुरक्षा/13/2022

न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

श्री अमरचन्द पुत्र श्री हुकम सिंह जाति ब्राहम्ण निवासी एक्टा तहसील व जिला भरतपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

उखण्ड अधिकारी, भरतपुर

.......रेस्पो0

अपील विरुद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी भरतपुर आज्ञा दिनांक 27.9.2022 अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा अधिनियम ।

उपस्थित :—
1—स्वयं अपीलान्ट
2—पैरोकार रसद

निर्णय दिनांक 08.5.2024

अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्ध रेस्पो0 व खिलाफ आदेश एनएफएसए/2022/2240 दिनांक 27.9.2022 उपखण्ड अधिकारी भरतपुर को निरस्त किये जाने हेतु पेश की गई है। उपखण्ड अधिकारी भरतपुर ने अपीलाधीन आदेश क्रमांक/एनएफएसए/2022/2240 दिनांक 27.9.2022 के द्वारा श्री अमरचन्द पुत्र हुकमसिंह (राशन कार्ड संख्या 007481500233) को प्रवर्तन अधिकारी भरतपुर की अनुशंषा के आधार पर खाद्य सुरक्षा की सूची से निष्कासित किये जाने की आज्ञा दी गई है। उक्त आदेश को निरस्त किये जाने हेतु अपीलान्ट ने यह अपील पेश की है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो की तलबी की गई। तहत पत्रावली तलब की गई। अपीलान्ट प्रार्थी स्वयं उपस्थित एवं रेस्पो की ओर से पैरोकार रसद उपस्थित आये। बहस सुनी गई।

अपीलान्ट स्वयं ने उपस्थित होकर बताया कि एस.डी.ओ. भरतपुर ने प्रवर्तन अधिकारी की गलत रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का नाम एनएफएसए सूची से नाम हटाये जाने के आदेश दिये गये हैं जो गलत है, प्रार्थी ने बताया कि उसके पास 1.26 है0 बारानी तथा 0.38 है0 चाही कृषी भूमि है। प्रार्थी के एनएफएसए कार्ड में 8 सदस्य हैं सभी का पालन का भार प्रार्थी पर है। एस.डी.ओ. साहब का आदेश खारिज किया जावे। प्रार्थी को एनएफएसए कार्ड जारी कराया जाने की प्रार्थना की।

.......2

जिला कलक्टर
भरतपुर

अपील /खाद्य सुरक्षा/13/2022
अमरचन्द बनाम एस.ओ.ओ भरतपुर

पैरोकार रसद ने अपने कथनों में जाहिर किया कि अपीलान्ट के खिलाफ प्राप्त शिकायत के सम्बन्ध में जांच की गई। जांच में पटवारी ग्राम पंचायत एक्टा के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के नाम 1.64 है0 सिचिंत कृषि भूमि है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जयपुर की अधिसूचना दिनांक 27.9.2018 में खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के संवध में निर्धारित मापदण्ड के तहत ऐसे परिवार जिनके सभी सदस्यों के स्वामित्व से कुल कृषि भूमि लघु कृषक हेतु निर्धारित सीमा से अधिक है इसलिए प्रार्थी खाद्य सुरक्षा की सुची से निष्कासित किया गया है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा नियमानुसार आदेश पारित किया है जो सही है अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने पत्रावलीयों का अध्ययन किया। प्रार्थी के कथनों एवं पैरोकार के कथनों पर गौर किया गया। तहत पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलान्ट के खिलाफ खाद्य सुरक्षा के तहत गलत रुप से लाभ लेने की शिकायत पर उपखण्ड अधिकारी भरतपुर द्वारा जांच कराई गई है। पत्रावली में उपलब्ध जांच रिपोर्ट प्रवर्तन अधिकारी रसद भरतपुर के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलान्ट अमरचंद के नाम 1.64 हैक्टयर सिंचत कृषि भूमि है, राज्य सरकार के निर्धारित माप दण्ड निर्धारित सीमा से अधिक भूमि पाई गई है जिसके आधार पर उपखण्ड अधिकारी भरतपुर ने आदेश पारित किया जो नियमानुसार सही है। जिसमें हम किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझते हैं। अस्तु अपील अपीलान्ट काबिल खारिज के रहती है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय प्रति के साथ तहत पत्रावली वापिस उपखण्ड अधिकारी भरतपुर को लोटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 08–5–2024 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर,
भरतपुर